प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2022 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रस्तावित गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से रेत खनिज के चुगान स्वीकृति (Forest Clearance) सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित अनुश्रवण समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारियों की सूची निम्न प्रकार है (उपस्थिति पत्रक संलग्न है):–

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष, वन मुख्यालय, देहरादून की उपस्थिति–

1. श्री डी0जी0के0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री रमेश चन्द्र, मुख्य वन संरक्षक, उपयोग, गैर प्रकाष्ठ वन उपज एवं आजीविका देहरादून
3. डा0 पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. डा0 अनिल कुमार सिंह, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इण्डिया, देहरादून।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष, अरण्य भवन वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त कार्यालय की उपस्थिति–

5. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक/ महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
6. श्री दीप चन्द्र आर्य, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
7. श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री बी0एस0 शाही, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
9. श्री बाबूलाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10. श्री के0 एन0 भारती, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
11. श्री वाई0 के0 श्रीवास्तव, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, गौला हल्द्वानी।
12. श्री अशोक कुमार, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नन्धौर।
13. श्री एस0 जी0 गोस्वामी, क्षेत्रीय प्रबन्धक (रामनगर), उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
14. श्री दिनेश बिष्ट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन रामनगर।
15. **सुश्री टायकी मल्होत्रा, संस्कारा संस्था, हल्द्वानी।**

निम्न अधिकारियों द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से अपने कार्यालय से बैठक में प्रतिभाग किया–

16. डा0 कपिल जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
17. डा0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील, मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
18. श्री एस0के0 तिवारी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देहरादून।
19. डा0 कृष्णानन्दु मण्डल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। अवगत कराया गया कि गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर नदियों में 10 वर्षों के लिए रेत खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तों के अधीन प्राप्त हुई है। मॉनिटरिंग समिति का दायित्व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा किया जाना निर्देशित है।

Scanned by TapScanner

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न नदियों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत खनन की अनुमति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की गयी है:–

नदी का नाम	वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति की आदेश संख्या तथा अनुमति की प्राप्ति का दिनांक
गौला	F. No. 8-61/1999-FC, 23rd January 2013
नन्धौर	F. No. 8-34/1916-FC, 6th September 2017
शारदा	F. No. 8-61/1999-FC (pt-III), 11th February 2013
कोसी	F. No. 8-61/1999-FC (pt-I), 15th February 2013
दाबका	F. No. 8-61/1999-FC (pt-II), 15th February 2013

तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रश्नगत पांचों नदियों से सम्बन्धित निम्न प्राथमिक जानकारी दी गयी।

नदी का नाम	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति प्राप्त है (हैक्टेयर में)
गौला	नैनीताल	तराई पूर्वी वन प्रभाग	1497
नन्धौर	नैनीताल ऊधमसिंह नगर	तराई पूर्वी वन प्रभाग	468
शारदा	चम्पावत	हल्द्वानी वन प्रभाग	384.69
कोसी	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	254
दाबका	चम्पावत	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	223

नदियों से उप खनिज चुगान की वस्तुस्थिति सम्बन्धी विवरण –

नदी का नाम	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में)	CSWCRTI (IISWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2021–22 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में)	दि० 10.03.2022 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में)
गौला	54.25	38.24	21.00
नन्धौर	20.30	7.02	3.62
शारदा	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	9.81	1.358
कोसी	Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	6.31	1.90
दाबका	CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा	1.67	0.79

Scanned by TapScanner

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नदियों के स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा बिन्दुवार निम्न अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :–

गौला नदी–

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.-

पांचों ही नदियों की हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि आज भी आरक्षित वन क्षेत्र है। अतः इस बिन्दु का अनुपालन हो रहा है।

(ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency.–

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला नदी के वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष प्रतिवर्ष 150 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य तराई पूर्वी वन प्रभाग को प्राप्त है, इस प्रकार 10 वर्षो में कुल 1500 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 1323.35 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा अवशेष लक्ष्य 176.65 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी एवं तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शारदा, कोसी एवं दाबका नदियों हेतु निर्धारित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भी नियमानुसार किया जा रहा है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों की के.एम.एल. फाईल्स को ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।

(iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA.–

समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा भी NPV भुगतान से सम्बन्धित कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हैं, और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गत वर्ष दिये गये निर्देशों के क्रम में वन विकास निगम द्वारा NPV जमा करने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी/शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा–निर्देश लिये जाय।

(iv) *The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;.-*

डा0 कृष्णानन्द, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा समस्त नदियों के Environment Clearance की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। महाप्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन विकास निगम द्वारा प्रेषित गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों की EC की वैधता Forest Clearance के समतुल्य (Co-terminus) के उद्देश्य से प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में

Scanned by TapScanner

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EC की वैधता में विस्तारीकरण किया गया है।

अतः इस शर्त के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त नदियों हेतु निम्न अनुसार Environment Clearance प्राप्त है –

नदी का नाम	Environment Clearance स्वीकृति की पत्र संख्या	वैधता की अन्तिम तिथि
गौला	J-110105 / 363 / 2009 IA. II(M) दिनांक 01.03.2021	22.01.2023
नन्धौर	J-11015 / 401 / 2015–IA -II(M) दिनांक 27.02.2018	27.02.2028
कोसी	J-11015 / 360 / 2009–IA. II(M) दिनांक 30.03.2021	15.02.2023
दाबका	J-11015 / 359 / 2009–IA. II(M) दिनांक 01.03.2021	15.02.2023
शारदा	J-11015 / 362 / 2009–IA. II(M) दिनांक 01.03.2021	11.02.2023

अध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण का उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गम्भीरता से Follow up किया जाय, ताकि माह अप्रैल 2021 से पूर्व ससमय उक्त स्वीकृति प्राप्त हो जाय तथा उपखनिज चुगान में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife; -

(vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement;-

उक्त शर्तो (v, vi) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में ससमय मुआवजा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक वन विकास निगम, डा0 विवेक पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि वन्य जन्तुओं के निर्बाध आवागमन हेतु गौला नदी के खनन क्षेत्र का 2.5 कि0मी0 भाग खनन हेतु प्रतिबन्धित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है।

श्री संदीप तिवारी, प्रतिनिधि निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष की बैठक में कॉरीडोर के प्रबन्धन हेतु Futuristic corridor plan के गठन हेतु चर्चा की गयी थी एवं यह निर्देशित किया गया था कि उक्त प्लान के गठन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। मुख्यवन्यजीव प्रतिपालक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कॉरीडोर प्लानिंग "प्रोजैक्ट ऐलीफेन्ट" के अन्तर्गत सम्मिलित है, जिसे इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। अतः समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कॉरीडोर प्लानिंग को "प्रोजैक्ट ऐलीफेन्ट" के अन्तर्गत लिया जाय।

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas,

Scanned by TapScanner

the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintatin river geometry;-

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रश्नगत 2.50 किमी0 क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष गौला कॉरीडोर में आर0बी0एम0 एकत्रित होने के कारण नदी के पूर्वी तट में कटाव हुआ है, जिसके दृष्टिगत अत्यधिक आर0बी0एम0 का चुगान किया जाना अति आवश्यक होगा। प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17.10.2021 से 19.10.2021 तक जनपद नैनीताल में हुई भीषण अतिवृष्टि से गौला नदी में आयी बाढ़ के दृष्टिगत जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा गौला कॉरीडोर क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत भू–कटाव को रोकने हेतु चैनलिंग कार्य हेतु आदेश निर्गत किये गये थे, जिसके अन्तर्गत माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2021 में चैनलिंग कार्य करवाया गया।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गौला कॉरीडोर क्षेत्र में भूकटाव रोकने हेतु उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम क्षेत्र का तकनीकी आंकलन कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundearkhal village by using State CAMPA funds;-

इस बिन्दु के संबंध में संस्कारा संस्था की प्रतिनिधि टाईकी मल्होत्रा द्वारा सुन्दरखाल ग्राम की पुर्नस्थापना के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है एवं तद्नुसार ही भविष्य में कार्यवाही की जायेगी।

(ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;-

इस शर्त के अनुपालन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर दी गयी है तथा आज उक्त समिति की वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।

(x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; ;-

Scanned by TapScanner

उक्त बिन्दु के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्पन्न की जाती है।

(xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the Sate Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals.;-

उक्त शर्त का अनुपालन नियमानुसार हो रहा है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा गत वर्ष दिनांक 25.05.2021 को गौला कार्पस की वार्षिक बैठक सम्पन्न कर कार्ययोजना को स्वीकृत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 की गौला कार्पस निधि की बैठक निकटतम भविष्य में करायी जायेगी।

(xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.-

किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखिनज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में IISWC Dehradun द्वारा समस्त नदियों की Replinishment study करवायी गयी है, जिसमें हर नदी से उपखनिज चुगान हेतु अधिकतम मात्रा निर्धारित कर लिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में उक्तानुसार आंकलित एवं निर्धारित आयतन से अधिक मात्रा में उपखनिज चुगान न किया जाय। इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।

(xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank.-

(xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.-

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा इस बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त नदियों में नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य निर्धारित गहराई तक किया जाय। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के उपरान्त निर्धारित मात्रा से अधिक गहरे गढ्ढे देखने में आये है। इसके अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमांऊ क्षेत्र) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे प्रकरण जिसमें वाउन स्वामी द्वारा निर्धारित गहराई अथवा सीमांकन से बाहर सम्बन्धी नियम तोड़ा जाता है तो तद्नुसार नदी में उसके आवागमन/निकासी को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

Scanned by TapScanner

(xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.-

इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है।

(xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ क्षेत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष चुगान सत्र के शुरूआत में बारिश के कारण चुगान विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भिक माहों में उपखनिज चुगान की निकासी भी गत वर्ष की तुलना में कम रही। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से दाबका एवं कोसी के लक्ष्य प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिसके अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गत माह से उपखनिज चुगान में तीव्रता आयी है एवं चुगान सत्र के अन्त तक पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति की संभावना है।

(xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.-

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests.

महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का नियमानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

(xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का [illegible] पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in [illegible] proposal.

Scanned by TapScanner

मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।

(xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry;

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ... self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु ... मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को शीघ्र ही उपलब्ध करायी जा रही है। ... की self-monitoring report राज्य सरकार तथा भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी ... समिति के सदस्यों को भी उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, ... and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ... अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी "Sustainable sand mining guidelines" का भी अनुलपान किया जा रहा है।

(xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project.

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ एवं रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नन्धौर नदी—

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त सं0 (ii) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार ... 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area." उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन से उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाय।

कोसी एवं दाबका नदी—

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति ... अन्तर शर्ते गौला नदी की अनुमति के समान हैं। परन्तु बिन्दु संख्या 4 में अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है।

No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Dabka river located on northern side of the Ramnagar- Haldwani Highway.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा गौला पुल के ... उपखनिज का चुगान नहीं किया जा रहा है।

शारदा नदी—

Scanned by TapScanner

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति की ...ाधार शर्तें गौला नदी की अनुमति के समान हैं। परन्तु बिन्दु संख्या 4 एवं 9 में अधिरोपित शर्त निम्न ...

4- No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Sharda river located on the upstream of the Sharda barrage.

9- The State Government shall through the Central Soil & Water Conservation ... h and training institute (CSWCRTI), Dehradun assess the quantity of minor mine... ay be sustainably be collected from the said portion of the Sharda river and ... ne to MoEFCC.

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊं, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया ... नदी से उपखनिज चुगान में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्तो का अनुपालन सु... रहा है तथा Indian Institute of Soil and Water Conservation (IISWC) Dehradun ... त्रा के अनुसार ही उपखनिज का चुगान किया जा रहा है तथा IISWC से प्राप्त रिपोर्ट ... भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा कोसी एवं दाबका नदियों में ... न को रोकने के लिए कठोर उपाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा अपेक्षा ... राखण्ड वन विकास निगम एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अवैध ... किया जाना अति आवश्यक है। प्रभागीय वनाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि ... में लिप्त वाहन को सीज करने के उपरान्त राजसात करना अति आवश्यक है ताकि अवैध खनन ... प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की ...

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक ...
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned by TapScanner

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक– 833 (N.T.F.P.) 9-2(3) हल्द्वानी, दिनांक, 07–6–2022.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चन्द्रबनी, देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4– निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
5– अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
6– क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
7– मुख्य वन संरक्षक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
9– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
11– प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
12– डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया।
13– डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया।
14– संस्कार संस्था।
15– आई.यू.सी.एन. इंडिया।
16– गार्ड फाइल।

संलग्न– बैठक की उपस्थिति।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned by TapScanner

"उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका व शारदा से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधोरोपित शर्तों के अनुपालन" की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कुमांऊ स्थित अधिकारी[illegible] की उपस्थिति

दिनांक 15.03.2022

स्थान—वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग [illegible], हल्द्वानी

क्र0सं0	नाम व पदनाम	ई—मेल	[illegible]हर
1	Dr Vinod Pandey		
2	दीप चन्द्र आर्य वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त		
3	Sandeep Kumar	dfo[illegible]	
4	B.S. Shahi DFO.	bs89[illegible]88@[illegible]	
5	BABULAL DFO, Haldwa[illegible]		
6	Shri K N Bhatt.		
7	Yogendra Kumar Srivastava		
8	Ashok Kumar DLM Nandhor		
9	M.G. Goswami, RM, Ramnagar		
10	Dhirendra Bisht DLM [illegible]		
11	Tykee Malhotra	[illegible]	
12			
13			
14			
15			
16			

Scanned by TapScanner

"उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, [illegible] व शारदा से [illegible] सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा [illegible] अनुपालन" की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित बैठक [illegible] स्थित अधिकारीगणों की उपस्थिति

दिनांक 15.03.2022

स्थान–कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग [illegible] मुख्यालय, देहरादून

क्र.सं.	नाम व पदनाम	[illegible]	
1	Vinod Kumar, PCCF (HoFF)		
2	D J K. Sharma MD UFDC		
3	Ramesh Chander, CCF [illegible]		
4	डा. पराग मधुकर धकाते, CWLW, Uttarakhand		
5	Dr. ANIL KUMAR SINGH Team Leader – TAL WWF – India	aksingh@wwfindia.net	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Scanned by TapScanner